न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या 26/2014 (राजसमन्द डिक्री)

1. लालूराम पिता घीसूलाल जी ब्राहमण (मृतक) के बजाय :–

1/1. अशोक पिता स्वर्गीय लालूराम जी ब्राहमण, निवासी मोगाणा, तहसील नाथद्वारा, हाल सी–115, अम्बामाता, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।

1/2. अमित पिता स्वर्गीय लालूराम जी ब्राहमण, निवासी मोगाणा, तहसील नाथद्वारा, हाल सी–115, अम्बामाता, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. कजोडीमल पिता घीसूलाल जी ब्राहमण, निवासी मोगाणा, पटवार मण्डल के सामने गली में, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
2. पन्नालाल पिता प्रताप जी ब्राहमण, निवासी मोगाणा, पटवार मण्डल के सामने गली में, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
3. मांगीलाल पिता प्रताप जी ब्राहमण, निवासी मोगाणा, पटवार मण्डल के सामने गली में, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (मृतक) के बजाय :–

3/1. भैरूलाल पिता मांगीलाल जी ब्राहमण, निवासी चारभुजा मन्दिर के पास मोगाणा, निवासी मोगाणा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द।

4. मदनलाल पिता रूपलाल जी ब्राहमण, निवासी मोगाणा, पटवार मण्डल के सामने गली में, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (मृतक) के बजाय :–

4/1. सुरेश पिता मदनलाल जी ब्राहमण, निवासी मोगाणा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

4/2. रामलाल पिता मदनलाल जी ब्राहमण, निवासी मोगाणा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

4/3. श्रीमती प्रतापी बाई बेवा मदनलाल जी ब्राहमण, निवासी मोगाणा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

5. नारायणलाल पिता रूपलाल जी ब्राहमण, निवासी मोगाणा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
6. मुस्मात हगामी बाई बेवा जगन्नाथ जी ब्राहमण, निवासी मोगाणा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
7. हीरालाल पिता जगन्नाथ जी ब्राहमण, निवासी मोगाणा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

8. मथुरालाल पिता चम्पालाल जी ब्राहमण, निवासी मोगाणा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

9. नवनीत पिता हीरालाल जी ब्राहमण, निवासी मोगाणा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

10. तुलसीराम पिता वरदीचन्द जी ब्राहमण (मृतक) के बजाय :–

10/1. शंकरलाल पिता स्वर्गीय तुलसीराम जी ब्राहमण, निवासी मोगाणा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

10/2. शान्तिलाल पिता स्वर्गीय तुलसीराम जी ब्राहमण, निवासी मोगाणा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (मृतक) के बजाय :–

10/2/1. राजू पिता स्व॰ शान्तिलाल जी ब्राहमण, निवासी मोगाणा, हाल राणा रायसिंह जी नगर,रेलवे प्लेटफार्म के सामने,कांकरोली,जिला राजसमन्द

10/2/2. श्रीमती शान्ति बेवा स्व॰ शान्तिलाल जी, निवासी मोगाणा, हाल राणा रायसिंह जी नगर,रेलवे प्लेटफार्म के सामने,कांकरोली,जिला राजसमन्द

10/2/3. श्रीमती कोमल पुत्री स्व॰ शान्तिलाल जी, निवासी मोगाणा, हाल राणा रायसिंह जी नगर,रेलवे प्लेटफार्म के सामने,कांकरोली,जिला राजसमन्द

10/2/4. श्रीमती प्रमिला पुत्री स्व॰ शान्तिलाल जी, निवासी मोगाणा, हाल राणा रायसिंह जी नगर,रेलवे प्लेटफार्म के सामने,कांकरोली,जिला राजसमन्द

10/2/5. श्रीमती पप्पी पुत्री स्व॰ शान्तिलाल जी, निवासी मोगाणा, हाल राणा रायसिंह जी नगर,रेलवे प्लेटफार्म के सामने,कांकरोली,जिला राजसमन्द

11. शान्तिलाल पिता तुलसीराम जी ब्राहमण, निवासी मोगाणा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (मृतक) के बजाय :–

11/1. राजू पिता स्व॰ शान्तिलाल जी ब्राहमण, निवासी मोगाणा, हाल राणा रायसिंह जी नगर,रेलवे प्लेटफार्म के सामने,कांकरोली,जिला राजसमन्द

11/2. श्रीमती शान्ति बेवा स्व॰ शान्तिलाल जी, निवासी मोगाणा, हाल राणा रायसिंह जी नगर,रेलवे प्लेटफार्म के सामने,कांकरोली,जिला राजसमन्द

11/3. श्रीमती कोमल पुत्री स्व॰ शान्तिलाल जी, निवासी मोगाणा, हाल राणा रायसिंह जी नगर,रेलवे प्लेटफार्म के सामने,कांकरोली,जिला राजसमन्द

11/4. श्रीमती प्रमिला पुत्री स्व॰ शान्तिलाल जी, निवासी मोगाणा, हाल राणा रायसिंह जी नगर,रेलवे प्लेटफार्म के सामने,कांकरोली,जिला राजसमन्द

11/5. श्रीमती पप्पी पुत्री स्व॰ शान्तिलाल जी, निवासी मोगाणा, हाल राणा रायसिंह जी नगर,रेलवे प्लेटफार्म के सामने,कांकरोली,जिला राजसमन्द

12. जगदीश पिता जगन्नाथ जी ब्राहमण, निवासी मोगाणा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

13. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त. अधि. 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा
दिनांक 28.08.2004, प्र॰ सं॰ 25/2003

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1. श्री संजय बोहरा अभिभाषक अपीलान्टगण
2. श्री मन्नाराम डांगी अभिभाषक रेस्पो॰ सं॰ 1
3. राजकीय अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 13

———::———

निर्णय **दिनांक 05–07–2018**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 9 द्वारा अपीलान्ट व अन्य रेस्पोन्डेन्ट के विरूद्ध विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित खाता संख्या 229 की कुल किता 6 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि ग्राम मोगाणा में स्थित है, जिसमें लालूराम, कजोड़मल पिता घीसूलाल 1/4, तुलसीराम पिता वरदीचन्द 1/4, नारायणलाल पिता रूपलाल 1/2 हिस्सा दर्ज है। इसी प्रकार खाता संख्या 190 में कुल किता 2 रकबा 21 बीघा 11 बिस्वा भूमि पक्षकारान के संयुक्त खाते में हिस्से अनुसार दर्ज है। इसी प्रकार खाता संख्या 187 कुल किता 3 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा भूमि भी पक्षकारान के हिस्से अनुसार दर्ज है। इसी प्रकार खाता संख्या 189 की कुल किता 24 रकबा 20 बीघा 5 बिस्वा भूमि पक्षकारान के खाते में उनके हिस्से अनुसार दर्ज है। इसी प्रकार खाता संख्या 191 की आराजी नंबर 715 रकबा 7 बीघा 1 बिस्वा भूमि भी पक्षकारान के शामलाती खाते में दर्ज है। इसी प्रकार खाता संख्या 192 की किता 2 रकबा 18 बिस्वा भूमि, खाता संख्या 193 की किता 4 रकबा 11 बीघा 7 बिस्वा भूमि, खाता संख्या 194 किता 2 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा भूमि, खता सख्या 228 किता 2 रकबा 17 बिस्वा भूमि, खाता संख्या 235 किता 2 रकबा 10 बीघा 2 बिस्वा

भूमि एवं खाता संख्या 230 की किता 21 रकबा 7 बीघा 14 बिस्वा भूमि वाद पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित हिस्से अनुसार पक्षकारान की सहखातेदारी में दर्ज है एवं पक्षकारान इसी अनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। अब भूमियों के संयुक्त उपयोग–उपभोग में बाधा पैदा होती है। अतएवं उक्त भूमियों का विधिवत विभाजन करवाया जाकर स्थाई निषेधाज्ञा दिलायी जावे।

अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 28–01–2004 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही हुई। अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 3 रजिस्टर्ड ए.डी. से तलबी होने के एक माह से अधिक समय गुजर जाने से उनके विरूद्ध भी एकतरफा कार्यवाही की गयी। दिनांक 11–03–2003 को पूर्व में ही प्रतिवादी संख्या 4 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही हो चुकी है। प्रतिवादी संख्या 5 औपचारिक पक्षकार होने के कारण उन्होंने जवाबदावा पेश नहीं किया।

प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय ने वादीगण की साक्ष्य लेने के बाद दिनांक 24–04–2004 को प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी की तथा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 28–08–2004 को अंतिम डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 18–09–2014 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगण के पिता की तामिल नहीं हुई थी। अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है तथा कमिश्नर रिपोर्ट पटवारी द्वारा तैयार की गयी है ऐसी स्थिति में मयाद का बिन्दु लागू नहीं होता है। अपीलान्ट को उनके पिता के स्वर्गवास के बाद जमीन बेचने की आवश्यकता पड़ी तो पटवारी हल्का से खाते की नकल निकलवाने पर उन्हें उक्त निर्णय की जानकारी हुई। अतएवं मयाद कण्डोन की जाये। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

उक्त दफा 5 के आवेदन पर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी तो यह पाया कि प्रकरण में लालूराम को रजिस्टर्ड ए.डी. नोटिस दिनांक 07–11–2003 को जारी किये गये हैं, हालांकि ए.डी. अप्राप्त है, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 28–01–2004 को जाब्ता दीवनी के

प्रावधान अनुसार एक माह की अवधि गुजर जाने के कारण अपने व्यक्त आदेश से एकतरफा कार्यवाही की है, परन्तु वकील अपीलान्ट द्वारा पेश शुदा न्यायिक नजीरें आर.आर.डी. 1992 पेज 17, आर.आर.डी. 1992 पेज 337, आर.आर.डी. 1991 पेज 492, आर.बी.जे. 2015 पेज 482 (सुप्रिमकोर्ट) एवं सिविल टाईम्स 2010 (सुप्रिमकोर्ट) पेज 689 के आलोक में अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका अनुसार यह सुस्पष्ट होता है कि अपीलान्ट को सूचना दिये बिना अधिकृत तहसीलदार से पृथक पटवारी द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार किये गये हैं, जिसके लिए अपीलान्ट को सूचना भी नहीं दी गयी है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का आदेश विधिक आदेश नहीं होने के कारण मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री मन्नाराम डांगी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 13 औपचारिक पक्षकार की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे।

प्रकरण में रेस्पोन्डेन्ट द्वारा आदेश 41 नियम 27 जा.दी. का एक आवेदन प्रस्तुत कर अधिनस्थ न्यायालय के एक वाद संख्या 18/2015 की प्रतिलिपि पेश की गयी है, जो इस प्रकरण से सुसंगत नहीं है। अतएवं उक्त आवेदन स्वीकार नहीं किया जा सकता एवं आवदेन खारिज किया जाता है।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को त्रुटि पूर्ण बताते हुए अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने प्रार्थना की।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं रेकार्ड का अवलोकन किया गया तथा अपीलान्ट द्वारा पेश शुदा न्यायिक नजीरों डी.एन. जे. 2016 पेज 92, आर.आर.टी. 2011–12 (Supp.)पेज 698, आर.आर.टी. 2014 (1) पेज 258 एवं आर.आर.टी. 2003 (2) पेज 777 के आलोक में यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट/प्रतिवादी को सूचित किये

बिना तथा उसे सुने बिना एवं तहसीलदार से पृथक पटवारी द्वारा तैयार प्राप्त विभाजन के आधार पर प्रकरण में अंतिम डिक्री जारी की है, जो उक्त न्यायिक नजीरों के आलोक में त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतएवं अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 28–08–2004 अपास्त की जाती है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्षों को सूचित कर तहसीलदार स्वयं की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर, आपत्तियां यदि कोई प्राप्त होती हैं तो उनका विधिवत निस्तारण कर निर्णय पारित करें।

पक्षकारान अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 05–09–2018 को उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 05–07–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास ..... **एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** .....

गोर्धनसिंह पिता झालमसिंह राजपूत, निवासी कामा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द व अन्य बनाम **श्रीमती नन्दकुंवर के बजाय श्रीमती लेहरकुंवर विधवा नाथूसिंह राजपूत, निवासी कामा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द व अन्य**

अपील नं.....**63 / 2016**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**नाथद्वारा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**.....06**.....माह.....**02**.....**2012**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**23**.....माह.....**01**.....सन् **2018** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी...**श्री हीरालाल कटारिया**.....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री संजय बोहरा.....**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 06–02–2012 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**23**.....माह.....**01**.....**2018** को जारी किया गया ।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।